[2018] 14 एस. सी. आर.213

सीसीआई परियोजना (पी) लिमिटेड

बनाम

वृजेन्द्र जोगजीवनदास ठक्कर

(सिविल अपील संख्या 6784-6785/ 2018)

27 नवंबर, 2018

[उदय उमेश ललित और आर**.** सुभाष रेड्डी**,** न्यायाधीशगण**]**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 23 - दो उपभोक्ताओं ने एक भवन परियोजना में प्रत्येक के लिया एक आवासीय फ़्लैट बुक किया, जिसका निर्माण अपीलार्थी को करना था - वर्ष 2012 में अपीलार्थी के साथ दोनों उपभोक्ताओं द्वारा अलग-अलग समझौते किए गए थे - फ़्लैटों का कब्जा अगस्त 2014 तक दिया जाना था - हालांकि प्रत्येक फ़्लैट के संबंध में कुल रुपये 85,86,911/- जमा किए गए थे, लेकिन अगस्त 2014 तक अपीलार्थी द्वारा कोई कब्जा नहीं दिया गया था - दोनों उपभोक्ताओं ने अपीलार्थी के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज कीं - मामलों के लंबित रहने के दौरान, फ़्लैटों का कब्जा अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 16.11.2016 1 के माध्यम से प्रस्तावित किया और जिसे बाद में शिकायतकर्ताओं द्वारा ले लिया गया - आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी को उपभोक्ताओं/ शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशी पर 01.09.2014 से उस तारिख तक साधारण ब्याज के रूप में 8% प्रति वर्ष की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस दिन शिकायतकर्ता को वास्तव में कब्ज़ा दिया गया था – अपीलार्थी ने तर्क दिया कि 21.12.2012 से 07.05.2013 के बीच के समय योजनाओं को फिर से जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता के कारण खो गया था, इसलिए, अपीलार्थी उस अवधि को बढ़ने का हक़दार था – अपील में, अभिनिर्धारित किया : 21.12.2012 से 07.05.2013 का समय अपीलार्थी द्वारा

पूर्ण रूप से उल्लेखित किया क्योंकि अग्नि सुरक्षा अनुमति के संबंध में योजनाओं को फिर से प्रस्तुत करना और नया एन. ओ. सी. प्राप्त करना अनिवार्य था - इस प्रकार, अगस्त, 2014 से 16.11.2016 के बीच की अवधि में से, अपीलार्थी समझौतों के अनुसार 6 महीने के विस्तार की अवधि का हकदार था - दोनों मामलों में जमा की गई राशि रुपये 85,86,911/ - ब्याज @8% प्रति वर्ष योग द्वारा एक वर्ष और 8 महीने के शेष अवधि के लिए जमा राशी पर पुरस्कार राशी रुपये 11. 4 लाख - पूरे मामले पर विचार करते हुए, इसके बजाय, प्रत्येक मामले के संबंध में शिकायतकर्ताओं को 5 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा।

अपीलों का **निस्तारण** करते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. अपीलार्थी का यह कहना उचित है कि योजनाओं को फिर से प्रस्तुत करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के संबंध में नई एन**.** ओ**.** सी**.** प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप**, 21.12.2012** से **07.05.2013** के बीच की अवधि **की** पूरी तरह से **व्याख्या की** गई थी। इस प्रकार**,** अगस्त**, 2014** से **16.11.2016** के बीच की अवधि में से**,** अपीलार्थी **6** महीने के विस्तार की अवधि का हकदार होगा। यह अभी भी हमारे पास एक वर्ष और **8** महीने की अवधि छोड़ता है। आयोग ने जमा राशि पर **8** प्रतिशत ब्याज दिया है। दोनों ही मामलों में जमा राशि **रुपये 85.86** लाख**,** आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार**,** एक वर्ष और **8** महीने की अवधि के संबंध में ब्याज तत्व **रुपये 11. 4** लाख। इसके अलावा**,** प्रस्तुतिकरण के दूसरे भाग पर विचार करते **हैं**। यह सच है कि रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। लेकिन बाजार में रेत की कम उपलब्धता के परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति का अनुपात बिगड़ गया होगा। इसलिए अपीलार्थी उस हिसाब से कुछ लाभ का हकदार होगा। **[**पैरा **13] [220-**ई**-**जी**]**

2. पूरे मामले पर विचार करते हुए**,** प्रत्येक मामले के संबंध में प्रतिवादी को **5** लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन किया जाता है। **[**पैरा **14] [220-**एच**; 221-**बी**]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील संख्या 6784-6785/ 2018 की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 90/ 2018 और उपभोक्ता शिकायत संख्या 975/ 2016 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

सिविल अपील संख्या 6786-6787/2018

संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, देबमाल्या बनर्जी, ए. एस. अमन, मनीष शर्मा, अरविंद कपूर, सुश्री इकरा खालिद, श्रीमती माणिक करंजावाला, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

दिलीप सिंह, डॉ. विनोद कुमार तिवारी अधिवक्तागण, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**, न्यायाधिपति**

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 के तहत ये अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षिप्त में "आयोग") द्वारा उपभोक्ता मामले संख्या 2016 के 975 और 976 में पारित सामान्य आदेश दिनांक 23.01.2018 के खिलाफ निर्देशित हैं।

2. उपभोक्ता मामला संख्या 976/ 2016 में, व्रजेन्द्र जे. ठक्कर, कर्ता ने अपीलार्थी के साथ "व्हाइट स्प्रिंग बिल्डिंग" नामक एक परियोजना में एक आवासीय फ़्लैट बुक किया था, जिसका निर्माण अपीलार्थी को गाँव मगथाने दत्तपाड़ा रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई में रुपये 90,38,850/- प्रतिफल में करना था और ईमारत में फ़्लैट संख्या 6A उक्त व्रजेन्द्र जे. ठक्कर, कर्ता को आवंटित किया गया था। पक्षकारों ने दिनांक 30.10.2012 को एक समझौता किया और उक्त समझौते के खंड 17 के अनुसार, कब्जा अगस्त, 2014 तक दिया जाना था। हालांकि, समझौते के अनुसार, उक्त खंड में निर्दिष्ट किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में कब्जे की डिलीवरी

की तारीख स्वचालित रूप से बढ़ा दी जाएगी जो निम्नलिखित प्रभाव से थीः

> “उक्त भवन में उक्त परिसर का कब्जा प्रवर्तक द्वारा क्रेता को अगस्त, 2014 को या उससे पहले "सर्वोत्तम प्रयास" के आधार पर दिया जाएगा। बशर्ते कि निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की घटना के होने पर भी, कब्जे की उपरोक्त तिथि स्वचालित रूप से उस अवधि के लिए विस्तारित हो जाएगी जिसके द्वारा ऐसी घटना (ओं) के कारण कब्जे में देरी होती है -
>
> (ए) इस्पात, सीमेंट, निर्माण सामग्री, पानी या बिजली की आपूर्ति के अन्य भवनों की अनुपलब्धता;
>
> (ख) युद्ध, नागरिक हंगामा, हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, आतंकवाद के कृत्य, महामारी, भूकंप, बाढ़, ईश्वर का अन्य कार्य, उक्त संपत्तियों के विकास के खिलाफ किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण का कोई निषेधात्मक आदेशः
>
> (ग) सरकार और/या अन्य सार्वजनिक या सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक निकाय या प्राधिकरण की कोई सूचना, आदेश, नियम, अधिसूचना, परिपत्र;
>
> (घ) एमसीजीएम और अन्य प्राधिकरणों/निकायों से एनओसी, अनुमति लाइसेंस, अनुमोदन, सहमति, कनेक्शन, योजना, अधिभोग, प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र और अनुमति प्राप्त करने में देरी।
>
> (ङ) उक्त संपत्तियों के विकास को प्रभावित करने वाले किसी भी सरकार, प्राधिकरणों, सार्वजनिक/स्थानीय निकायों के किसी भी कानून, नियमों, विनियमों, उप-कानूनों में परिवर्तन।
>
> (च) उक्त संपत्तियों के संबंध में वन विभाग, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, एम.सी.जी.एम., किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक निकाय/स्थानीय प्राधिकरण से कोई सूचना/निर्देश अधिसूचना, आदेश;

(छ) क्रेता द्वारा प्रवर्तक को देय शेष खरीद मूल्य और/या अन्य राशियों के भुगतान में देरी या चूक (उपरोक्त खंड 12 के संदर्भ में इस समझौते को समाप्त करने के प्रवर्तक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना)।"

3. इसके बाद उक्त वृजेन्द्र ठक्कर, एच. यू. एफ. ने वर्तमान प्रतिवादी कुमुदबेन जगजीवनदास ठक्कर की मां के पक्ष में आवंटन हस्तांतरित कर दिया। कुमुदबेन ठक्कर ने इसके बाद वही अपार्टमेंट वर्तमान प्रतिवादी को उपहार में दिया।

4. उपभोक्ता मामला संख्या 976/ 2016 में, श्रीमती हेमाली व्रजेन्द्र ठक्कर ने उसी परियोजना में अपीलार्थी के साथ एक आवासीय फ्लैट बुक किया था और फ्लैट संख्या 6B उसे Rs.90,38,850/- के समान प्रतिफल पर आवंटित किया गया था। उन्होंने अगस्त, 2014 तक कब्जा देने के लिए उपरोक्त खंड संख्या 17 सहित समान खंडों के साथ इसी तरह का समझौता किया। बाद में, उपरोक्त आवंटन हेमाली व्रजेन्द्र ठक्कर द्वारा उनकी सास कुमुदबेन ठक्कर के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने बदले में इसे प्रतिवादी को उपहार में दिया। 19.08.2015 दिनांकित उपहार विलेख में निम्नलिखित पाठों में से एक थाः

"और जबकि, यधपि दानग्रहिता के अन्य भाई-बहन भी हैं, लेकिन शुरू से ही दानदाता और उसके दिवंगत पति उपरोक्त पते पर दानग्रहिता और उसके परिवार के साथ रह रहे थे और यह केवल दानग्रहिता ही था जो दानदाता और उसके पति की हर चीज की देखभाल कर रहा था।... "

5. उपरोक्त उपभोक्ता मामला संख्या 975 और 976/ 2016 अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए दायर किया गया था कि हालांकि प्रत्येक फ्लैट के संबंध में रुपये 85,86,911/- की राशि जमा की गई थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा कोई कब्जा नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई थीः

"ए. ओपी को एक महीने के भीतर फ्लैट का कानूनी कब्जा शिकायतकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया जाए और

बी. ओपी को शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा शिकायतकर्ता को सौंपने तक ओपी को पहले से ही भुगतान की गई राशि पर सितंबर 2014 से शिकायतकर्ता को प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। या

सी. यदि ए) और बी) की प्रार्थना स्वीकार करना कानूनी रूप से संभव नहीं है तो वैकल्पिक रूप में ओपी को शिकायतकर्ता के लिए उसी क्षेत्र वाले किसी अन्य नवनिर्मित फ्लैट को उसी दर पर उसी सुविधा वाले टावर में उसी इलाके में सौंपने का निर्देश दिया जाए। या

डी. ओपी को शिकायतकर्ता के लिए उक्त फ्लैट का वर्तमान बाजार मूल्य रु. 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) वापस करने का निर्देश दिया जाए। और

ई. और ओपी को निर्देश दिया जाये की वह शिकायतकर्ता को सितंबर, 2014 से ओपी को पहले से प्रतिफल दिए गए रुपये 85,86,911 पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करे, जब तक किओपी शिकायतकर्ता को 2,00,00,000/- रुपये वापस न कर दे जो की उक्त फ्लैट के वर्तमान बाजार मूल्य है, और

एफ. ओपी को शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव, उत्पीड़न और पीड़ा पैदा करने के लिए मुआवजे के रूप में रु. 5,00,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। और

जी. ओ. पी. को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में रु. 1,00,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

एच. कोई भी अन्य राहत जिसे माननीय आयोग उचित और उचित समझता है।"

6. अपीलार्थी ने शिकायतों का विरोध किया और कहा कि आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्माण गतिविधि शुरू हो गई थी। हालाँकि, नए विकास नियंत्रण नियम 2012 में अधिसूचित किए गए थे जो बिल्डर/डेवलपर को अग्निशमन विभाग से अनिवार्य अनुमति लेने के बाद

नए आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करते थे। अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने के बाद उस ओर से 21.12.2012 पर एक आवेदन किया गया था, लेकिन संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल 07.05.2013 पर ही दिया गया। इसके अलावा, अगस्त, 2013 से सितंबर, 2015 के बीच यानी 24 महीनों से अधिक समय तक रेत खनन गतिविधि पर प्रतिबंध था, जिसके परिणामस्वरूप, निर्माण के लिए बुनियादी कच्चे माल में से एक बाजार में दुर्लभ हो गया था। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता स्वयं चूक में थे और इस तरह बकाया राशि पर ब्याज के लिए प्रत्येक फ्लैट के संबंध में रुपये 1,04,207/- के भुगतान की मांग की गई थी और अपीलार्थी द्वारा उचित मांग पत्र जारी किए गए थे।

7. आयोग के समक्ष मामलों के लंबित रहने के दौरान, उपरोक्त फ्लैट 6ए और 6बी के कब्जे की पेशकश अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 16.11.2016 पत्र के माध्यम से की गई थी। 10.07.2017 को आयोग ने शिकायतकर्ताओं को अपीलार्थी को स्वीकृत राशि का भुगतान करने और विवादित राशि आयोग के पास जमा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद फ्लैटों का कब्जा 04.08.2017 को ले लिया गया। इस प्रकार आयोग के समक्ष मामले इस मुद्दे तक ही सीमित रहे कि क्या दोनों मामलों में शिकायतकर्ता विलंबित भुगतान के संबंध में किसी मुआवजे के हकदार थे या क्या अपीलार्थी उपरोक्त खंड संख्या 17 के संदर्भ में अवधि बढ़ाने का हकदार था।

8. आयोग ने 07.05.2013 पर दिए गए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रस्तुतिकरण को खारिज कर दिया। इसने आगे रेत की अनुपलब्धता के संबंध में प्रस्तुतिकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह के दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। आयोग ने पाया कि 1,04,207/- की राशि को छोड़कर, जिसे अपीलार्थी ने विलंबित भुगतान के लिए ब्याज के रूप में वसूल करने की मांग की थी, बाकी राशि शिकायतकर्ताओं द्वारा विवादित नहीं थी और अपीलार्थी को भुगतान किया गया था। प्रतिद्वंद्वी के दावों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ शिकायतों का निस्तारण किया:

"1. शिकायतकर्ता द्वारा फ्लैट और आनुपातिक ब्याज का कब्जा लेने से पहले इस आयोग में जमा की गई राशि में से शेष राशि, यदि कोई हो, जो उस राशि पर उपार्जित हो सकती है, जिसमें (i) रुपये 10427 की ब्याज राशि-(दोनों शिकायतों में) और (ii) नीचे दिए गए निर्देश (3) के संदर्भ में शिकायतकर्ता को देय मुआवजे के बराबर राशि, विरोधी पक्ष को जारी की जाएगी।

2. 104207-रुपये की राशि (दोनों मामलों में) शिकायतकर्ता को उस राशि पर उपार्जित आनुपातिक ब्याज के साथ जारी की जाएगी।

3. विपक्षी को उस तिथि तक शिकायतकर्ता को भुगतान की गयुई राशी पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में मुआवजे का भुगतान 01.09.2014 से उस तारिख तक करना होगा जिस दिन कब्ज़ा वास्तव में उसे दिया गया था। उपलब्ध सीमा तक मुआवजे को उपरोक्त निर्देश (1) के संदर्भ में शिकायतकर्ता को देय राशि में से समायोजित किया जाएगा।

4. विरोधी पक्ष शिकायतकर्ता को प्रत्येक शिकायत में मुकदमे की लागत के रूप में रुपये 25,000/- का भी भुगतान करेगा।

5. आदेश के संदर्भ में ओपी द्वारा भुगतान आज से तीन महीने के भीतर किया जाएगा।"

9. आयोग के निर्णय की शुद्धता को चुनौती देने वाली इन अपीलों में, हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता डॉ. विनोद कुमार तिवारी को सुना।

10. यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन द्वारा प्रस्तुत किया गया थाः

(क) शिकायतें उतनी मान्य नहीं थीं जितनी मूल आबंटियों ने अपना ब्याज हस्तांतरित किया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाम राजे राम में इस न्यायालय के निष्कर्ष पर भरोसा किया गया।

(ख) योजनाओं को फिर से प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता के कारण 21.12.2012 से 07.05.2013 के बीच खोया गया समय, अपीलार्थी उस अवधि को बढ़ाने का हकदार था।

(ग) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 05.08.2013 को देश भर में रेत खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें सितंबर, 2015 में भारत संघ द्वारा नई नीति तैयार किए जाने के बाद ही ढील दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस अवधि के दौरान रेत की उपलब्धता पहले की तुलना में 20 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

अतः यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी। किसी भी मामले में कब्ज़े की पेशकश 16.11.2016 पर की गई थी और इस प्रकार यह अगस्त, 2014 और 16.11.2016 के बीच केवल 2 साल से अधिक की छोटी अवधि थी जो विचाराधीन अवधि थी। उनके प्रस्तुतिकरण में, अवधि पूरी तरह से समझाई गई थी और इस तरह आयोग अपीलार्थी पर दायित्व अधिरोपित करने में उचित नहीं था।

11. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षों द्वारा किए गए स्थानांतरण परिवार के भीतर थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी अवधि के किसी भी विस्तार का हकदार नहीं था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नेशनल ग्रीन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश ने अवैध रेत खनन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था, न की रेत खनन गतिविधि पर। इस तरह रेत बाजार में उपलब्ध थी।

12. हम अभिलेख्का अवलोकन किया और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हरियाणा विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निष्कर्ष ने उस मामले के व्यक्तिगत तथ्यों को बदल दिया, जिसमें बाद के आबंटियों को कब्जे के विलंबित वितरण के लिए हर्जाने या मुआवजे का दावा करने का अधिकार ही अस्थिर पाया गया था। इस न्यायालय का उक्त निर्णय उन मामलों से संबंधित है जहां मूल आबंटियों ने प्राधिकरण की अनुमति से कुल अजनबियों के पक्ष में आवंटन हस्तांतरित किया था और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पाया गया था, बाद के आबंटियों को पता था कि आबंटित भूखंडों को वितरित करने में देरी हुई

थी क्योंकि लेआउट बनाने में समय लगा था या अतिक्रमण के कारण और फिर भी मूल आबंटियों के ब्याज को खरीद लिया था। वर्तमान मामले में स्थानांतरण उस परिवार के भीतर किया गया था जहां सदस्य एक साथ रह रहे थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ऊपर) में इस न्यायालय के फैंसले को यह कहने के लिए नहीं बढाया जा सकता है की प्रत्येक मामले में जहां स्थानांतरण होता है, बाद के हस्तांतरणकर्ता द्वारा शिकायत बिल्कुल भी सुनवाई रखने योग्य नहीं होगी।

13. साथ ही, अपीलार्थी का यह कहना उचित है कि योजनाओं को फिर से प्रस्तुत करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के संबंध में नया एन.ओ.सी. प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप, 21.12.2012 से 07.05.2013 के बीच की अवधि पूरी तरह से समझाई गई थी। इस प्रकार, अगस्त, 2014 से 16.11.2016 के बीच की अवधि में से, अपीलार्थी 6 महीने के विस्तार की अवधि का हकदार होगा। यह अभी भी हमारे पास एक वर्ष और 8 महीने की अवधि छोड़ता है। आयोग ने जमा राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज दिया है। दोनों ही मामलों में जमा राशि रूपए 85.86 लाख, आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, एक वर्ष और 8 महीने की अवधि के संबंध में ब्याज तत्व रुपये 11. 4 लाख। अब हम प्रस्तुतिकरण के दूसरे भाग पर विचार करते हैं। यह सच है कि रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। लेकिन बाजार में रेत की कम उपलब्धता के परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति का अनुपात बिगड़ गया होगा। इसलिए अपीलार्थी उस हिसाब से कुछ लाभ का हकदार होगा।

14. पूरे मामले पर विचार करते हुए, हमारे विचार में, आयोग द्वारा जारी निर्देश संख्या 3 के बजाय, उक्त निर्देश के प्रतिस्थापन में 5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसलिए हम आयोग द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन करते हैं। निर्देश 1,2 और 4 को बनाये रखते हुए, निर्देश संख्या 3 को प्रतिस्थापित किया जाता है और इसके स्थान पर अपीलार्थी को प्रत्येक मामले के संबंध में प्रत्यर्थी को 5 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देना होगा। हम निर्देश देते हैं कि निर्देशों में शामिल सभी राशियों को आज से 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी शिकायतकर्ता पर्श्नागत राशियों पर 8 प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा।

15. इन निर्देशों के साथ दीवानी अपीलों का निस्तारण किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निस्तारण किया गया।